रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 226] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 17, 1974/भाद्र 26, 1896

No. 226] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 17, 1974/BHADRA 26, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library 1974 Govt. of India

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 17th September, 1974

SUBJECT.—*Schedule of conditions relating to the issue of Licences for imports under the UK/India Maintenance Loan,* 1974.

No. 135-ITC(PN)/74.—The terms and conditions governing the issuance of licences under the UK/India Maintenance Loan, 1974 as given in the Appendix to this Public Notice are notified for information.

APPENDIX

LICENSING CONDITIONS FOR IMPORTS FROM THE UK UNDER THE UK/INDIA MAINTENANCE LOAN, 1974.

Superscription and Code.—Each Import licence will bear the Superscription "UK/India Maintenance Loan, 1974". In addition, each import licence will also bear the Code "R/ML".

2. Where an import licence is issued against the £1.5 million Segment, earmarked for allocations under the import policy for "Established Importers", it will also be affixed

with *RUBBER-STAMP-UK/India Maintenance Loan* 1974—£1.5 *million Segment for Established Importers*". This will be in addition to the suffix "R/ML" mentioned in para 1 above.

NOTE.—The payment procedure and the documentation laid down in paragraph 8 and 9 below will apply to allocation under the £1.5 million Segment also.

3. **Minimum Value of Import Licence.**—The minimum Value for which an import licence can issue for import of spares, components and/or raw materials etc. under the UK/India Maintenance Loan 74 is Rs. 10,000 (Rupees Ten Thousand only). This limit will, however, not apply to SSI units, in which case the import licence for a value not less than Rs. 1,000 (one thousand rupees) can be issued by the licensing authority.

4. **Intimation of Import Licence Particulars.**—Within a fortnight of the receipt of the import licence the importer should intimate to the Department of Economic Affairs (Section Officer, WE II Section), the details of the import licence viz. complete number, date; its value and the superscription thereof together with a photostat copy of the import licence (see paras 1 and 2 above). A copy of the intimation should also be endorsed to the Controller of Aid Accounts and Audit (CAAA), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

5. **Validity of Import Licence.**—(a) The import licence will be valid for a period of twelve (12) months from the date of its issue. All payments must, therefore, be completed within a period of one month of the date of expiry of the licence.

(b) **Credit facilities.**—Individual payments must be arranged upon shipment of goods.

(c) **Credit facilities from foeign suppliers.**—Credit facilities offered by the foreign suppliers can be availed of by the importers, with the prior approval of the Controller of Aid Accounts and Audit (CAAA), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs provided however that—

1. The foreign supplier is willing to ship at his own risk the goods without insisting upon prior establishment of a letter of credit;
2. The Credit facility is *not extended beyond* 90 *days from the date of shipment and does not have the effect of extending the vallidity of the Import Licence;*
3. *No interest* charges, or any service charge whatsoever, direct or indirect, are payable by the importer for the credit extended; and
4. The importer should clearly indicate in the application to the C.A A.A. under intimation to WE II Section of the Department of Economic Affairs the following details:—
 (i) Value of I/L;
 (ii) Value of credit facility asked for;
 (iii) Certificate that the value of credit facility asked for is available within the validity of the licence.

The importers who satisfy the above conditions, will be informed, on request, of the detailed procedure to be followed by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10 Parliament Street, New Delhi-1, under advice to WE II Section of this Department.

6. **Origin of goods.**—(a) The Import licence will be valid for imports *only* from the U.K. (which expression in this context will include the Channel Islands and Isle of Man) of goods or materials wholly or mainly produced or manufactured in the U.K.

(b) Import licences under the UK/India Maintenance Loans will normally be valid only for goods and/or materials procure and produced or manufactured in the United Kingdom. In exceptional cases a non-U.K. element upto a limit of 20 per cent of the FOB value of the contract may be accepted for financing under the UK/India Maintenance Loans.

(c) The Indian Importer will be well advised in his own interest to ascertain from the UK suppliers beforehand whether the proposed imports contain any non-UK element, and if so, the percentage thereof. Under no circumstances should he enter into a firm commitment or contract with a UK supplier without specifically ascertaining this point.

(d) When on such an enquiry it is revealed that the goods proposed to be imported have non-UK element, the matter must be brought to the notice of the Ministry of

Finance, Department of Economic Affairs, WE II Section, New Delhi for confirmation, whether the importer should proceed with the finalisation of his order/contract with the prospective UK supplier.

NOTE.—The Importers while approaching the authorised bank for opening a letter of credit should make available (in required number of copies) contract and the contract certificate, duly signed by the UK supplier, in addition to other documents that may be needed by that Bank.

7. **Ordering period.**—(a) Firm orders on CIF or C&F (FOB/FAS if so designed by Government Departments, Public Sector Undertakings) must be placed on the U.K. Suppliers within four (4) months from the date of issue of the import licence. It may be clarified here that *'Firm orders'* would mean not only the placement of orders by the Indian importers but should also be confirmed by UK suppliers in writing within the specified period of four months. In other words ordering would not only mean placement of orders on the part of Indian Importers but also acceptance or confirmation on the part of UK suppliers.

(b) The term "firm orders" used in these licensing conditions would connote placement of orders for the full value of the licence within the validity period for ordering and not for part of the licence value. In case an importer has not been able to place orders for the full value of the licence during the initial or extended validity, *vide* sub-para (d) below then the licence will be deemed to be available only to the extent to which firm orders were placed within the validity period for placement of orders.

(c) The authorised dealer in foreign exchange will not allow any remittances or facilities for establishment of letter of credit unless satisfactory documentary evidence is produced by the licencee, indicating the placement of firm orders within the initial four months period [refer note below para 6(d)].

(d) **Extension in ordering period.**—In cases where firm orders could not be placed within this period of four months, the licensee should approach the Import Licence Issuing Authority, immediately, giving detailed justifications for getting the ordering period as prescribed in para 7(a) above, suitably extended. The same procedure, as indicated in sub-para (c) above will apply to cases for extensions also. While CCI&E would consider the requests for extension in the period of ordering beyond the initial period of 4 months for upto another 2 months, requests for extensions beyond this period for placement of orders would invariably be considered by CCI&E in consultation with the Department of Economic Affairs.

8. **Payments.**—Payments to the U.K. suppliers can be arranged through normal banking channels, by making remittances *vide* clause 5(a) above. All payments towards the Indian Agents' Commission should be made in Rupee in India. Such payments will, however, form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

9. **Reimbursement.**—For obtaining reimbursements under the loan, Government of India have to furnish to the U.K. Authorities a copy of Form 'A' (Reserve Bank application form for remittance in foreign currency) duly completed and bearing the signature of a bank in India certifying the payments that have been authorised by that bank, and supported by a copy of certificate of origin from the contractor in the U.K., duly signed by him, in the form set out as Appendix 'B' or Appendix B (Chemicals) whichever is appropriate Specimens of these certificates are attached as Annexure I and Annexure II respectively. The licensee should arrange to obtain from the supplier in the U.K. adequate number of copies or photostat copies of the appropriate certificate of origin so that each time a payment is arranged copy of the certificate of origin, duly signed can be attached to the form 'A' which together with a copy of certificate of origin will be sent to the Ministry of Finance by the authorised dealer. As soon as the payment is made, the authorised dealer will ensure that in respect of each payment, the form 'A' duly completed and a copy of the supporting certificate of origin (duly signed by UK contractor) are sent to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi under advice to the importer. It must be ensured that all the appropriate columns in Form 'A' are filled in correctly and completely. The full licence number (including the suffix 'ML') and indication whether the licence relates to the £1.5 million Segment and the date thereof should appear on each form 'A' without fail. The certificate by the Authorised Dealer should clearly bring out the name of the foreign bank through which the payment has been made to the supplies and the date on which the payment has

been authorised. None of the (important) columns of Form 'A' or the certificate of origin should be left blank.

NOTE.—The arrangements do not absolve the licence of his responsibility to ensure that all Form 'A' are forwarded from time to time by the banks to the Ministry of Finance as indicated above duly completed in all respects and duly supported by the relevant certificate of origin.

10. **Quarterly Report on the utilisation status of licence.**—A quarterly report, as in Annexure III showing the utilisation status of the licence, should be furnished to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs), New Delhi until the licence is fully utilised, with a copy to WE II Section of Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) New Delhi.

11. **Notifying suppliers of special conditions.**—The licensee should apprise the foreign supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transactions.

12. **Refunds.**—If any refunds are received by the licensee from the supplier, the shipper or the insurer, a full report showing the amounts received, together with other relevant particulars should be sent to the Ministry of Finance at the address indicated in para 9 above, as and when such refunds are received. The report regarding refunds should be as in the proforma in Annexure IV.

13. **Disputes.**—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, which may arise between the licensee and the suppliers.

14. **Compliance with Instructions.**—The licence shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the credit agreement.

15. **Breach or violations.**—Any breach or violation of the above conditions will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

LIST OF ANNEXURES

Annexure I Certificate of Origin.

Annexure II Certificate of origin for Chemical & Allied Product.

Annexure III Quarterly utilisation Report Proforma.

Annexure IV Report showing details of Refunds received from Suppliers/Shippers/Insurers.

ANNEXURE I

APPENDIX B

UNITED KINGDOM/INDIA MAINTENANCE LOAN 1974
CERTIFICATE OF ORIGIN

Particulars of Contract

1. Date of Contract———————. 2. Contract No.———————

3. Import Licence No. ——————— Date——————————

4. Description of goods or services supplied to the purchaser———————

———————————————————————————

(If a number of items have been supplied, a detailed list should be appended to this certificate).

5. *Total contract price paid by purchaser (state CIF, C&F or FOB)* £ *IF GOODS HAVE BEEN SUPPLED THE FOLLOWING SECTIONS MUST BE COMPLETED (If the contractor is exporting agent only, the information requested should be obtained from manufacturer).*

6. Estimated % of the FOB value of the goods *not* originating in the United Kingdom, but purchased by the Contractor directly from abroad, *i.e.* % of imported raw-material or components used in manufacture. *i.e.* of imported raw-material or components used in manufacture.

(a) % FOB value———————————————

(b) Description of items and brief specification. ———————————

7. If any raw material or components used originated from abroad, *e.g.* copper, asbestos, cotton, wood pulp, etc. but have been purchased in the United Kingdom by the contractor for this contract, specify :—

(a) FOB Value———————————————

(b) Description of items and brief specifications———————————————

IF SERVICES HAVE BEEN SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION SHOULD ALSO BE COMPLETED.

8. State the estimated value of any work done or services performed in purchaser's country by:—

(a) Your firm (site engineers charges, etc). ———————————————

(b) Local contractor ———————————————

9. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 6, 7, or 8 above. ———————————————

10. I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this certificate. I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of United Kingdom origin have been supplied by the contractor other than those specified in paragraphs 6, 7, 8 and 9 above.

Signed———————————————
Position held ———————————————
Name and Address of contractor———————————————
———————————————
Date———————————————

NOTE For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Island and the Isle of Man.

ANNEXURE II

APENDIX B (CHEMICALS)

UNITED KINGDOM /INDIA MAINTENANCE LOAN 1974

CERTIFICATE OF ORIGIN FOR CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS ONLY

1. Date of Contract———————— Contract No. ————————
Import Licence No.———————— Dated———————————————

2. Description of Product(s) supplied to purchaser (Note A)	£ Price	UK Tariff classification No. (Note B)	Is the product of UK origin ? (State) 'Yes' or 'No' (See Note 'C')

3. Total contract Price Payable by Purchaser in sterling £————————

4. (Declaration)—I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this certificate, and that the above information is correct.

Signed———————————————
Position held———————————————
Name & address of Contractor ———————————————
———————————————
Date———————————————
———————————————

NOTES

Note A.—This form is only to be used for Chemicals and Allied Products, most of which are covered by the appropriate sub-headings of chapters 15, 25, 28, 35 and 37—40 of the U.K. Tariff.

Note B.—SEE:—

(i) H.M. Customs & Excise Tariff H. M. S. O.

(ii) Classification of Chemicals in Brussels Nomenclature H.M.S.O.

Note C.—

(i) A product is regarded as of 'U.K.Origin' if made *either wholly* from indigenous UK material *OR* according to the appropriate EFTA qualifying process using imported materials wholly or in part.

(ii) The EFTA qualifying processes are set out in Schedule I of the 'EFTA' compendium for the Use of Exporters', H.M.S.O.

(iii) For the purposes of this declaration it is to be emphasised that the 'alternative percentage criterion' DOES NOT APPLY.

(iv) The words "Area Origin" where they appear in the above Schedule must be taken to mean "UK Origin" only.

(v) For the purposes of this declaration, the "Basic Materials List" (Schedule III of the EFTA Compendium) does not apply.

(vi) If a qualifying process is not listed for the material in question advice should be sought from the Government of the United Kingdom.

Note D.—For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE III

Form of Quarterly Utilisation report in respect of UK Credits

(to be furnished separately in respect of each licence)

1. Name of the Importing Firm.
2. Particulars of U. K. Credit.
3. No. & Date of the Import Licence.
4. Value of the Import Licence.
5. Value of orders placed.
6. Value of orders yet to be placed.
7. Payments made to the U. K. suppliers (up-to-date)
8. Payments yet to be made with a quarterly estimate of payments (with values and anticipated dates of payment).
9. Value of the complete documents (Form 'A') forwarded so far to the Ministry of Finance

	Name of bank by whom forwarded and No. & Date of their communication under which Form 'A' Sent.	Value of the Form 'A' in rupees
(i)		
(ii)		
(iii)		

10. Surrenders, if any.

Total form 'A' sent———

Signature of the authorised officer of the Importing Firm.

ANNEXURE IV

REPORT SHOWING DETAILS OF REFUNDS RECEIVED FROM SUPPLIERS SHIPPERS/INSURERS (TOWARDS SETTLEMENT OF CLAIMS FOR SHORT LANDINGS, DAMAGES ETC.) IN RESPECT OF IMPORTS FROM U. K. UNDER U. K./INDIA MAINTENANCE LOAN, 1974.

(only for claims settled in foreign exchange)

1. Name of importing firm.
2. Particulars of U. K. Credit.
3. No. & Date of import licence.
4. Value of import licence.
5. Amount of refunds received.
6. Nature of refund (give brief details).
7. Reference to the relative Forms 'A' under which payment was made initially to the U. K. Suppliers (indicate name of Indian Bank and reference to their letter No. & Date, forwarding Form 'A' to the Ministry of Finance).
8. Whether or not refunds received are to be utilised for replacement of goods, if not, confirm that amount has been actually received and encashed into rupees.
9. Remarks.

Signature of the authorised officer of the importing firm.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Export

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1974

विषय.—यू० के०/भारत अनुरक्षण ऋण, 1974 के अधीन आयातों के लिए लाइसेंस जारी करने से सम्बन्धित शर्तों की अनुसूची।

सं० 135-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—यू० के०/भारत अनुरक्षण ऋण, 1974 के अधीन लाइसेंसों के निर्गमन को नियन्त्रित करने वाली शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है।

परिशिष्ट

यू० के०/भारत अनुरक्षण ऋण, 1974 के अधीन य० के० से आयातों के लिए लाइसस जारी करने की शर्तें

अभिलेख और संकेत.—प्रत्येक आयात लाइसेंस पर "यू० के०/भारत अनुरक्षण ऋण, 1974" अभिलेख होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक लाइसेंस पर "आर / एम एल" संकेत भी होगा।

2. जिस मामले में आयात लाइसेंस "संस्थापित आयातकों" के लिए आयात नीति के अधीन आवंटनों के लिए चिह्नित 1.5 मिलियन पौंड सैगमेंट के प्रति जारी किया गया है, उसमें भी आयात लाइसेंस पर **"संस्थापित आयातकों के लिए यू०के०/भारत अनुरक्षण ऋण, 1974—1.5 मिलियन पौंड सैगमेंट"** शब्द रबड़ की मोहर से अंकित किए जाएंगे। ये शब्द ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित प्रत्यय "आर / एम एल" के अतिरिक्त होंगे।

टिप्पणी.—नीचे पैरा 8 और 9 में निर्धारित भुगतान कियाविधि और दस्तावेजीकरण 1.5 मिलियन पौंड सैगमेंट के अधीन आवंटनों के लिए भी लागू होंगे।

3. **आयात लाइसेंस का न्यूनतम मूल्य**.—न्यूनतम मूल्य जिसके लिए यू० के० /भारत अनुरक्षण ऋण, 1974 के अधीन फालतू पुर्जों, संघटकों और/या कच्चे माल आदि के लिए एक आयात लाइसेंस जारी किया जा सकता है, 10,000 रुपये (दस हजार रुपये मात्र) है। लेकिन, यह सीमा उन लघु पैमाना उद्योग एककों के लिए लागू नहीं होगी जिन के मामले में कम से कम 1,000 रुपये (एक हजार रुपये) मूल्य के लिए आयात लाइसेंस, लाइसेंस-प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है।

4. **आयात लाइसेंस के ब्यौरों की सूचना**.—आयात लाइसेंस की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर आयातक को आर्थिक कार्य विभाग, (अनुभाग अधिकारी, डब्ल्यू-ई-2 अनुभाग) को आयात लाइसेंस के ब्यौरे अर्थात् पूर्ण संख्या, दिनांक, इसका मूल्य और इसका अभिलेख आयात लाइसेंस की फोटोस्टेट प्रति के साथ भेजने चाहिएं (कृपया उपर्युक्त पैरा 1 और 2 देखिए)। सूचना की एक प्रति सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रण (सी ए ए ए), वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को भी भेजनी चाहिए।

5. **आयात लाइसंस की वैधता**.—(क) आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 12 महीनों की अवधि के लिए वैध होगा। इसलिए भुगतान लाइसेंस लाइसेंस की समाप्ति की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर अवश्य पूर्ण कर लेने चाहिए।

(ख) **साख सुविधाएं**.—अलग अलग भुगतानों की व्यवस्था माल के वास्तविक प्रदान पर करनी चाहिए ।

(ग) **विदेशी संभरकों से साख-सुविधाएं**.—विदेशी संभरकों द्वारा प्रदान की गई साख सुविधाएं आयातकों द्वारा सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक (सी एएए), वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के पूर्व अनुमोदन से उपलब्ध की जा सकती है बशर्ते कि :—

1. विदेशी संभरक पहले ही साख पत्र की स्थापना पर बल दिए बिना अपने निजी उत्तरदायित्व पर माल का प्रदान करने का इच्छुक है ।

2. साख सुविधा, **पोतप्रदान की तिथि से 90 दिनों से अधिक के लिए नहीं बढ़ाई जाती है और आयात लाइसेंस की वैधता में बढ़ोतरी करने के लिए प्रभाव नहीं डालती है** ।

3. वृद्धि किए गए क्रेडिट के लिए **कोई भी ब्याज खर्च** या कोई भी सेवा खर्च, चाहे वे प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष, आयातक द्वारा देय नहीं है ।

4. आर्थिक कार्य विभाग के डब्ल्यू ई 2 अनुभाग को सूचना देते हुए सहायता लेखा तथा लेखापरीक्षा नियंत्रक को आवेदनपत्र में आयातक को निम्नलिखित ब्यौरे स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने चाहिए :—

(1) आयात लाइसेंस का मूल्य ;

(2) मांगी गई साख सुविधा का मूल्य ;

(3) यह प्रमाणपत्र की मांगी गई साख सुविधा का मूल्य लाइसेंस की वैधता के भीतर उपलब्ध है ।

जो आयातक उपर्युक्त शर्तों को पूर्ण करेंगे वे आवेदन करने पर, सहायता लेखा तथा लेखापरीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–1 द्वारा इसी विभाग के डब्ल्यू ई 2 अनुभाग को सूचना देते हुए अनुसरण की जाने वाली विस्तृत क्रियाविधि से अवगत किए जाएंगे ।

6. **माल का मूल का स्थान**.—(क) आयात लाइसेंस यू० के० में पूर्णतया या मुख्यतया उत्पादित या विनिर्मित माल या सामग्री के केवल यू० के० (इस संदर्भ में यू० के० अभिव्यक्ति में चैनल आईलैंड और आइल आफ मैन भी शामिल हैं) से आयातों के लिये वैध होगा ।

(ख) यू० के०/भारत अनुरक्षण ऋण के अधीन आयात लाइसेंस सामान्यतः केवल यू० के० में अधिप्राप्त और उत्पादित या विनिर्मित माल और/या सामान के लिये वैध होंगे । कुछ विशेष मामलों में संविदा के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य 20 प्रतिशत की सीमा तक गैर-यू० के० तत्व का माल यू० के०/भारत अनुरक्षण ऋणों के अधीन वित्तदान के लिये स्वीकार किया जा सकता है ।

(ग) भारतीय आयातक को यू० के० संभरक से पहले से ही यह सुनिश्चय करने की सलाह दी जायेगी कि क्या प्रस्तावित आयातों में गैर-यू० के० तत्व का कोई माल निहित है और यदि है तो उसकी

प्रतिशतता क्या है इस बात का विशेष रूप से सुनिश्चय किये बिना आयातक को किसी भी परिस्थिति में पक्का सौदा या संविदा नहीं करनी चाहिये ।

(घ) इस प्रकार की पूछताछ करने पर जब यह बात प्रकट हो जाये कि आयात किये जाने के लिये प्रस्तावित माल में—गार-यू० के० तत्व है तो मामला वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, इक्ल्यू ई 2 अनुभाग, नई दिल्ली के नोटिस में इस बात की पुष्टि करने के लिये लाना चाहिये कि क्या आयातक को प्रत्यापित यू० के० संभरक के साथ अपना आदेश/संविदा निर्णीत कर लेनी चाहिये ।

टिप्पणी.—साख पत्र खोलने के लिये प्राधिकृत बैंक से सम्पर्क करते समय उस बैंक को जिन अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है, उनके अतिरिक्त यू० के० संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संलिखा और संविदा प्रमाणपत्र (प्रतियों की अपेक्षित संख्या में) आयातकों को उस बैंक को उपलब्ध करानी चाहिये ।

7. **आदेश देने की अवधि.**—(क) लागत बीमा भाड़ा या लागत और भाड़ा (यदि सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान ऐसा चाहे तो जहाज पर निशुल्क/जहाज तक निशुल्क) आधार पर आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 (चार) महीनों की अवधि के भीतर यू०के० संभरकों को पक्के आदेश अवश्य दिये जाने चाहिये । यहां यह स्पष्ट किया जाये कि "पक्के आदेशों" का अर्थ केवल भारतीय आयातकों द्वारा आदेश दे देना ही नहीं होगा बल्कि यू०के० संभरकों द्वारा भी चार महीनों की निर्धारित अवधि में लिखितरूप में उनका पुष्टिकरण होना चाहिये । दूसरे शब्दों में आदेश देने का अर्थ केवल भारतीय आयातकों की ओर से आदेश भेज देना ही नहीं बल्कि यू० के० संभरकों की ओर से उनको स्वीकार कर लेना केवल भारतीय आयात या उनका पुष्टिकरण करना भी है ।

(ख) लाइसेंस देने की इन शर्तों में उपयोग किया गया शब्द "पक्के आदेश" आदेश देने के लिये वैधता अवधि के भीतर लाइसेंस के पूर्ण मूल्य के लिये आदेश दिये जाने का संकेत करेगा, लाइसेंस मूल्य के किसी भाग के लिये नहीं । यदि आयातक प्रारम्भिक या बढ़ाई गई अवधि के दौरान लाइसेंस के पूर्ण मूल्य के लिये आदेश देने में समर्थ नहीं हुआ है, देखिये नीचे उप-पैरा (घ), तो लाइसेंस केवल उसी सीमा तक उपलब्ध कराया गया समझा जायगा जिस सीमा तक आदेश देने की वैधता अवधि के भीतर पक्के आदेश दिये गये थे ।

(ग) विदेशी मुद्रा विनिमय का प्राधिकृत व्यापारी साखपत्र की स्थापना करने के लिये तब तक किसी भी धन प्रेषण या सुविधा की अनुमति नहीं देगा जब तक कि चार महीने की प्रारम्भिक अवधि के भीतर दिये गए पक्के आदेशों को निर्दिष्ट करते हुये लाइसेंसधारी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता [देखिये पैरा 6 (घ) के नीचे टिप्पणी] ।

(घ) **आदेश देने की अवधि में वृद्धि.**—जिन मामलों में चार महीनों की इस अवधि के भीतर पक्के आदेश न दिए जा सके हों, उन में लाइसेंसधारी को उपर्युक्त पैरा 7 (क) में यथा निर्धारित आदेश देने की अवधि में उपयुक्त वृद्धि कराने के लिये विस्तृत औचित्य देते हुये तुरन्त आयात लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी से सम्पर्क करना चाहिये वही क्रियाविधी जो उपर्युक्त उप-पैरा (ग) में निर्दिष्ट की गई है, वृद्धि के मामलों के लिये लागू होगी । जब मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात चार महीनों की प्रारम्भिक अवधि से आगे अन्य दो महीनों तक के लिये आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिये आवेदन पत्रों पर विचार करेगा तो आदेश देने के लिये इस अविध के आगे वृद्धि करने के लिये आवेदन पत्रों पर भी आर्थिक कार्य विभाग के परामर्श से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा साथ-साथ विचार किया जाएगा ।

8. **भुगतान**—यू० के० संभरकों को भुगतान सामान्य बैंक-सूत्रों के माध्यम से धन परेषण द्वारा किये जा सकते हैं, देखिये ऊपर खंड 5(क)। भारतीय एजेन्ट के कमीशन के प्रति सभी भुगतान भारत में रुपये में करने चाहिये लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य का ही एक भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर प्रभारित किये जाएंगे।

9. **अदायगी**— ऋण के अधीन अदायगी प्राप्त करने के लिये भारत सरकार को विधिवत पूर्ण और भारत में स्थित बैंक द्वारा जो भुगतान प्राधिकृत किये गये हैं उनको प्रमाणित करते हुये उस बैंक के हस्ताक्षर सहित प्रपत्र "ए" (विदेशी मुद्रा में धन परेषण के लिए रिजर्व बैंक आवेदन पत्र का प्रपत्र) की एक प्रति और इस प्रति के समर्थन में परिशिष्ट "बी" या परिशिष्ट वी (रासायनिक) में किये गये प्रपत्रों में से जो भी उचित हो, उस में यू० के० संविदाकार द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित माल के मूल उद्गम प्रमाणपत्र की एक प्रति यू० के० प्राधिकारियों को भेजनी है। इन प्रमाणपत्रों के नमूने क्रमशः अनुबन्ध 1 और अनुबन्ध 2 के रूप में संलग्न किये जाते हैं। लाइसेंसधारी को यू० के० संभरक से माल के मूल उद्गम के उचित प्रमाणपत्र की प्रतियां या फोटोस्टैट प्रतियां काफी संख्या में प्राप्त करने की व्यवस्था कर लेनी चाहिये। ताकि प्रत्येक बार को करते समय माल के मूल उद्गम प्रमाणपत्र की विधिवत् हस्ताक्षरित प्रति प्रपत्र ऐसे संलग्न की जा सके जो माल के मूल उदगम प्रमाणपत्र के साथ प्राधिकृत व्यापारी द्वारा वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी। भुगतान जैसे किया जाता है प्राधिकृत व्यापारी यह निश्चय करेगा कि प्रत्येक भुगतान के संबन्ध में विधिवत् पूर्ण प्रपत्र 'ए' और उसके समर्थन में माल के मूल उद्गम का प्रमाणपत्र (यू० के० संविदाकार) द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित) आयातक को सूचना देते हुये सहायता लेखा तथा लेखापरीक्षा नियंत्रक वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजे गए है, इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिये कि प्रपत्र ए के सभी उचित कालम सही और पूर्ण रूप से भरे गये हैं। लाइसेंस की पूर्ण संख्या ('एमएल' प्रत्यय सहित) और यह निर्देशन कि क्या (इससे 1.5 मिलियन पौंड सैगमैंट से संबंधित है और उसकी संख्या प्रत्येक प्रपत्र 'ए' में अवश्य प्रदर्शित करनी चाहिये प्राधिकृत व्यापारी के प्रमाणपत्र में उस विदेशी बैंक का नाम प्रदर्शित होना चाहिये जिसके माध्यम से संभरक को भुगतान प्राधिकृत किया गया है। प्रपत्र 'ए' का या माल के मूल उद्गम प्रमाणपत्र का कोई भी कालम (मुख्य) खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिये

टिप्पणी.—ये व्यवस्थाएं लाइसेंसधारी को इस बात का सुनिश्चय करने के उत्तरदायित्व से छुटकारा नहीं देती कि सभी प्रपत्र 'ए' सभी बातों में विधिवत् पूर्ण और माल के मूल उद्गम के संगत प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित, समय समय पर बैंकों द्वारा ऊपर निर्दिष्टानुसार वित्त मंत्रालय को भेजे जाते हैं।

10. **लाइसेंस के उपयोग स्तर की त्रैमासिक रिपोर्ट**.—लाइसेंस के उपयोग स्तर को प्रदर्शित करते हुये अनुबंध 3 के अनुसार एक त्रैमासिक रिपोर्ट जब तक लाइसेंस पूर्ण रूपेण उपयोग नहीं कर लिया जाता तब तक सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को और इसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली के डब्ल्यू ई 2 अनुभाग को भेजनी चाहिए।

11. **संभरकों को विशेष शर्तें अभिसूचित करना**.—लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस में किसी विशेष शर्त से विदेशी संभरक को अवगत करना चाहिए जो लेन देन के पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती है।

12. **वापसी**.—यदि संभरक, पोतवणिक या बीमाकर्ता से कोई धन वापसी लाइसेंस धारी द्वारा प्राप्त की जाती है तो जब और जैसे ही ऐसी धन वापसी प्राप्त की जाय प्राप्त की गई धनराशि

को प्रदर्शित करते हुये अन्य संगत ब्यौरों के साथ एक पूर्ण रिपोर्ट उपर्युक्त पैरा 9 में निर्दिष्ट पते पर वित्त मंत्रालय को भेजनी चाहिए । धन वापसी से संबंधित रिपोर्ट अनुबंध 4 में दिये गये प्रपत्र जैसी होनी चाहिए ।

13. **विवाद**.—यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिये भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी ।

14. **अनुदेशों का पालन**.—आयात लाइसेंस से संबंधित या इस पर उठने वाले किसी एक या सभी मामलों से संबंधित और क्रेडिट समझौते के अधीन सभी उत्तरदायित्वों से निपटने के लिए सरकार द्वारा जारी किये गये किसी भी निर्देश, अनुदेश या आदेश का लाइसेंसधारी तुरन्त पालन करेगा ।

15. **उल्लंघन या अतिक्रमण**.—उपर्युक्त शर्तों के किसी भी प्रकार से उल्लंघन या अतिक्रमण करने का परिणाम आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन कार्यवाई होगा ।

अनुबन्धों की सूची

अनुबन्ध 1—माल के मूल उद्गम का प्रमाणपत्र ।

अनुबन्ध 2—रसायन और सम्बद्ध उत्पादों के लिये माल के मूल उद्गम का प्रमाणपत्र ।

अनुबन्ध 3—उपयोग की त्रैमासिक रिपोर्ट का प्रपत्र ।

अनुबन्ध 4—संभरकों/पोतवणिकों/बीमाकर्ताओं से प्राप्त धन वापसी के ब्यौरों को प्रदर्शित करने वाली रिपोर्ट ।

अनुबन्ध 1

परिशिष्ट ख

यू० के०/भारत अनुरक्षण ऋण,—1974

उद्गम प्रमाणपत्र

संविदा का विवरण

1. संविदा की तारीख———————2. संविदा संख्या :———————

3. आयात लाइसेंस संख्या ———————— तारीख———————

4. खरीददार को भेजे जाने वाले माल या सेवाओं का विवरण———————

———————

(यदि मदों की संख्या भेजी गई हो, तो इस प्रमाणपत्र के साथ उसकी एक विस्तृत सूची लगा देनी चाहिए) ।

5. खरीददार द्वारा चुकाई गई कुल संविदा कीमत (लागत बीमा भाड़ा और लागत भाड़ा या जहाज पर्यन्त निशुल्क को बतायें) पौंड———————————————
यदि संविदाकर्ता केवल अभिकर्ता को निर्यात कर रहा है, तो मांगी गई सूचना निर्माणकर्ता से प्राप्त की जानी चाहिए) ।

6. जिस माल का मूल रूप से उत्पादन यू० के० में नहीं हुआ है किन्तु संविदाकर्ता द्वारा बाहर से सीधे ही खरीदा गया है उसके जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रतिशत अर्थात् आयातित कच्चे माल या संघटक जो निर्माण के काम में आते हैं, उनका प्रतिशत ।

(क) प्रतिशत जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य———————————————

(ख) मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टिकरण———————————————

7. विदेश मल के यदि किसी कच्चे माल या संघटक का उपयोग किया जाता है जैसे ताम्बा, एसबेस्टस, कपास, लकड़ी खुरदी आदि, किन्तु संविदाकर्ता द्वारा इस संविदा के लिये इनकी खरीद यू० के० में की गई है, तो इन्हें विशिष्टिकृत करें:—

(क) जहाज पर्यन्त निशुल्क———————————————

(ख) मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टिकरण———————————————
यदि सेवा प्रदान की जा चुकी है, तो निम्नलिखित खंडों की पूर्ति की जानी चाहिए ।

8. नीचे लिखे द्वारा किये गये किसी काम या खरीददार के देश में निष्पादित सेवाओं का अनुमानित मूल्य बताएं:—

(क) आपकी फर्म (स्थल, अभियान्त खर्च आदि)———————————————

(ख) स्थानीय संविदाकर्ता———————————————

9. उपर्युक्त कंडिका 6, 7 या 8 के संबंध में जैसा आवश्यक हो, अर्हक अंक दें ।

10. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे संविदाकर्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार मुझे प्राप्त है । मैं एतद्द्वारा यह जिम्मेदारी लेता हूं कि उपर्युक्त कंडिका 6, 7, 8 और 9 में विशिष्टिकृत को छोड़कर किसी और माल या सेवाओं का जो यू० के० मूल के नहीं हैं, संविदा के निष्पादन में संभरण नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षरित———————————————

ओहदा जिस पर वह है———————————————

संविदाकर्ता का नाम और पता———————————————

———————————————

दिनांक———————————————

टिप्पणी.—इस घोषणा के लिये दि चैनल आइलैंड और आइल्ज आफ मैन यू० के० में शामिल हैं ।

अनुबन्ध 2

परिशिष्ट—ख (रसायन)

यू० के०/भारत अनुरक्षण ऋण, 1974

केवल रसायन और सम्बद्ध उत्पादों के लिए उद्गम प्रमाणपत्र

1. संविदा की तारीख ———— संविदा संख्या ————
आयात लाइसेंस सं० ————दिनांक ————

2. खरीददार को भेजे गए उत्पाद (दों) का विवरण (टिप्पणी क)	पौंड कीमत	यू० के० सीमा-शुल्क सूची वर्गीकरण सं० (टिप्पणी ख)	क्या उत्पाद यू० के० मूल का है? (देखें टिप्पणी ग) हां या नहीं में बताएं

3. स्टर्लिंग में खरीददार द्वारा भुगतान की जानेवाली कुल संविदा कीमत—पौंड———— ————

4. (घोषणा)—मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित हूं और इस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार मुझे प्राप्त है और यह कि उपर्युक्त सूचना सही है।

हस्ताक्षरित ————
ओहदा जिस पर वह है ————
तारीख ———— संविदाकर्ता का नाम ————

टिप्पणी

टिप्पणी क.—इस प्रपत्र का उपयोग केवल रसायनिक और सम्बद्ध उत्पादों के लिए किया जाना है, जिसमें अधिकांशतः यू० के० की सीमाशुल्क सूची के चैप्टर 15, 25, 28, 35 और 37—40 के उपयुक्त उपशीर्षकों में शामिल करली जाती है।

टिप्पणी ख.—देखें:—

(1) एच एम सीमाशुल्क और उत्पादन शुल्क टेरिफ एच० एम० एस० ओ०।

(2) ब्रुसल्स नोमेन्क्लेचर एच० एम० एस० ओ० में रसायनों का वर्गीकरण।

टिप्पणी ग.—

(1) उत्पाद 'यू० के० मूल' के रूप में माना जाता है यदि वह **या तो पूर्णतया** देशी यू० के० सामग्री का बना है या उपर्युक्त ई एफ टी ए अर्हक विधि के अनुसार आयातित सामग्री से पूर्णतया या आंशिक रूप में बना है।

(2) ई एफ टी ए अर्हक विधियां "निर्यातकों के उपयोग के लिए ई एफ टी ए सार-संग्रह," एच० एम० एस० ओ० की अनुसूची – 1 में निर्धारित की गई हैं।

(3) इस घोषणा के लिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि "वैकल्पिक प्रतिशत मापदंड" लागू नहीं होता है ।

(4) उपर्युक्त अनुसूची में जहां कहीं 'क्षेत्र मूल' शब्द आए, उस का केवल "यू० के० मूल" अर्थ लगाना चाहिए ।

(5) इस घोषणा के लिए "मौलिक सामग्री सूची" (ई एफ टी ए सार संग्रह की अनुसूची) लागू नहीं होती ।

(6) यदि विषयाधीन सामग्री के लिए अर्हक विधि सूचीबद्ध नहीं की जाती है तो यू० के० सरकार से सलाह लेनी चाहिए ।

टिप्पणी घ·—इस घोषणा के लिए दि चैनल आइलैंड और आइल्ज आफ मैन यू० के० में शामिल हैं ।

अनुबन्ध 3

यू० के० साख के सम्बन्ध में प्रयुक्त होने वाली रिपोर्ट का प्रपत्र

(प्रत्येक लाइसेंस के सम्बन्ध में अलग अलग भेजा जाना है)

1. आयात करने वाली फर्म का नाम ——————————
2. यू० के० साख का विवरण ——————————
3. आयात लाइसेंस की तारीख और सं० ——————————
4. आयात लाइसेंस का मूल्य ——————————
5. दिए गए आर्डर का मूल्य ——————————
6. अब तक दिए गए आर्डर मूल्य ——————————
7. यू० के० संभरकों को किए गए भुगतान (अब तक) ——————————
8. भुगतान (भुगतान के मूल्य और प्रत्याशित तारीख के साथ) के त्रैमासिक आकलन के साथ वह भुगतान जो किया जाना बाकी है ।
9. वित्त मंत्रालय को अब तक जो पूरे मूल्य के प्रलेख (प्रपत्र 'ए') भेजे गए हैं ।

उस बैंक का नाम जिस के द्वारा प्रेषित किए गए हैं तथा उनके उस पत्र की संख्या तथा दिनांक जिसके अन्तर्गत प्रपत्र 'ए' भेजा गया है ।	प्रपत्र 'ए' का मूल्य रुपये में
(1)——————	——————
(2)——————	——————
(3)——————	——————
भेजा गया कुल फार्म 'ए' ——————	

10. अभ्यर्पण, यदि कोई किया गया हो ।

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत-अधिकारी के हस्ताक्षर ।

अनुबन्ध 4

य० के०/भारत अनुरक्षण ऋण, 1974 के अन्तर्गत यू० के० से आयात के सम्बन्ध में संभरकों/ पोतवणिकों / बीमाकर्त्ताओं (थोड़ी देर तक ठहरने, टूट-फूट आदि के लिए दावों का निपटारा करने के लिए) से प्राप्त वापसी के ब्यौरे को प्रदर्शित करने वाली रिपोर्ट।

(विदेशी मुद्रा में निपटाए गये दावों के लिए)

1. आयात करने वाली फर्म का नाम ।

2. यू० के० साख का विवरण ।

3. आयात लाइसेंस की संख्या और तारीख ।

4. आयात लाइसेंस का मूल्य ।

5. प्राप्त की हुई धन वापसी का मूल्य ।

6. धन वापसी किस प्रकार की थी । (संक्षिप्त ब्यौरा दीजिए) ।

7. सम्बन्धित प्रपत्रों 'क' के लिए संदर्भ जिसके अन्तर्गत यू० के० संभरकों (भारतीय बैंक का नाम और वित्त मंत्रालय को अग्रसारित किया गया प्रपत्र 'क' के संदर्भ में उनके पत्र संख्या और तारीख) को प्रारम्भिक रूप में भुगतान किया गया था ।

8. माल की बदली के लिए प्राप्त की गई धन वापसी का उपयोग किया जाता है या नहीं यदि नहीं किया जाता है, तो इसकी पुष्टि कीजिए कि धन राशि वास्तव में प्राप्त करली गई है और उसको रुपया में भुना लिया गया है ।

9. टिप्पणियां ।

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974